विषय सूची / CONTENTS

पृष्ठ संख्या / Page No.

- नोटिस / Notice 5-21
- निदेशक रिपोर्ट / Directors' Report 22-39
- बेसल–II के अन्तर्गत प्रकटीकरण / Disclosure under Basel II 40-54
- निगमित शासन की रिपोर्ट / Corporate Governance 55-86
- वित्तीय विवरण / Financial Statements 87-133
  - तुलन पत्र / Balance Sheet 88
  - लाभ–हानि खाता / Profit & Loss Account 89
  - अनुसूचियां / Schedules 90-130
  - नकदी प्रवाह विवरण–पत्र / Cash Flow Statements 131-133
  - लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन / Auditors' Reports 134-136
- नामांकन फॉर्म / Nomination Form 137
- घोषणा पत्र प्रारूप / Formate of Declaration 139
- ई सी एस अधिदेश / बैंक खाते के ब्यौरे का फार्म / ECS Mandate Form/Bank Account Details 141
- उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip 143
- प्रॉक्सी फॉर्म / Proxy Form 145
- निदेशक द्वारा घोषणा पत्र एवं वचन / Declaration and Undertaking by the Director 149

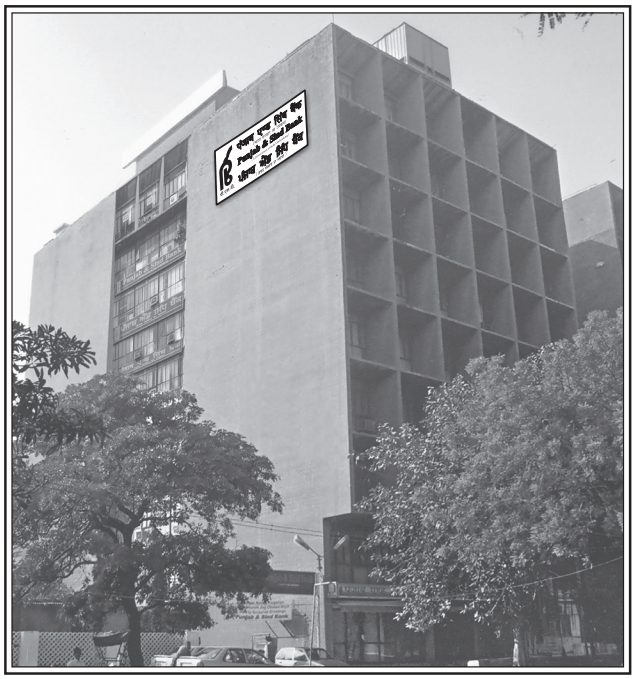

प्र. का. राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली / H.O. Rajendra Place, New Delhi

उल्लेखनीय तथ्य / HIGHLIGHTS

रुपए (लाखों में)/Rs. (in lacs)

	यथा/as on 31-03-2011
शुद्ध लाभ Net Profit	52617
जमा Deposits	5972319
सकल अग्रिम Gross Advances	4283262
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	1324874
सकल निवेश Gross Investments	1870128
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.90
शुद्ध एनपीए अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	0.56
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल–I) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-I)	11.94
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल–II) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	12.94

24 जून, 1908 से राष्ट्र की सेवा में समर्पित **Serving the Nation since 24th June, 1908**

प्रधान कार्यालय : "बैंक हाउस", 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008

Head Office : 'Bank House', 21, Rajendra Place, New Delhi-110008
Visit us at : www.psbindia.com

निदेशक मंडल / Board of Directors

कार्यकारी निदेशक
Executive Director

श्री पी. के. आनन्द
Sh. P. K. Anand

निदेशक
Directors

श्री ए. भट्टाचार्य
Sh. A. Bhattacharya

श्री बी.पी. कानून्गो
Sh. B.P. Kanungo

श्री ए. के. सुराना
Sh. A. K. Surana

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत
Sh. Krishan Murari Gangawat

स. करनपाल सिंह सेखों
Sh. Karanpal Singh Sekhon

महाप्रबंधक
General Managers

श्री. पी. एस. घावरी
मुख्य महाप्रबंधक
Sh. P. S. Ghawri
Chief General Manager

श्री. जे. एस. कोचर
Sh. J. S. Kochar

श्री. जी. एस. बिन्द्रा
Sh. G. S. Bindra

श्री. के. एस. सचदेवा
Sh. K. S. Suchdeva

श्री. एच. पी. सिंह
Sh. H. P. Singh

श्री. मनजीत सिंह
Sh. Manjit Singh

श्री विजय श्रीवास्तव
Sh. Vijay Srivastva

श्री आर. के. खुराना
Sh. R. K. Khurana

श्री. जी. एस. अरोड़ा
Sh. G. S. Arora

श्री. जी. एस. सचदेवा
Sh. G. S. Sachdeva

श्री रविंदर गोसाईं
Sh. Ravinder Gossain

श्री. गुरचरण सिंह
Sh. Gurcharan Singh

श्री. अमरजीत कोचर
Sh. Amarjit Kochar

श्री. जी. एस. सेठी
Sh. G. S. Sethi

श्री दिनेश कुमार गुप्ता
(मुख्य सतर्कता अधिकारी)
Sh. D. K. Gupta
(Chief Vigilance Officer)

लेखा परीक्षक
Auditors

बंसल सिन्हा एण्ड कं.
Bansal Sinha & Co.

बलराम चन्द्रा एण्ड एसोसिएट्स
Balram Chandra & Associates

भाटिया एण्ड भाटिया
Bhatia & Bhatia

अलका एण्ड सुनील
Alka & Sunil

जी. एस. गोयल एण्ड कं.
G. S. Goel & Co.

एस. बी. जी. एण्ड कं.
S. B. G. & Co.

नोटिस / NOTICE

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की प्रथम वार्षिक सामान्य बैठक एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रौतो पार्क, नई दिल्ली–110010 में वृहस्पतिवार, 16 जून, 2011 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित होगी। इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगे।

1. बैंक का 31 मार्च, 2011 के तुलन–पत्र, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ–हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन–पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श, अनुमोदन व अंगीकरण।
2. वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए लाभांश का अनुमोदन एवं घोषणा।
3. केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों का चुनाव जिनके संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) की धारा (9) (3)(i), बैंककारी नियामक अधिनियम, 1949 एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1980 (जोकि ''योजना'' के नाम से जानी जाएगी) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) अधिनियम, 2008 (जोकि 'अधिनियमों' के रूप में जाने जाएंगे) नियम की धारा 19 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 01.11.2007 सं. डीबीओडी. नं.बीसीनं.46 / 29.39.001 / 2007–08 की अधिसूचना (जोकि 'आरबीआई अधिसूचना' के नाम से जानी जाएगी) के तहत वैध नामांकन प्राप्त किए गए और निम्न प्रस्ताव पास किया गयाः

''निर्णय लिया गया कि केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों का चुनाव जिनके संबंध में अधिनियम की धारा (9) (3) (i), योजना के रूप में पढ़ा गया एवं उसके अंतर्गत् बनाए गए नियमों, के तहत बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, बैठक की तिथि से अगली तिथि और इस तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु कार्यभार ग्रहण करेंगे"।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 मई, 2011

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

पी.के.आनंद
कार्यकारी निदेशक

Notice is hereby given that the First Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Thursday, the 16th June, 2011 at 11.00 A.M., at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi – 110 010 to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2011, Profit & Loss account for the year on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To approve and declare dividend for the financial year 2010-11.
3. To elect two Directors from amongst the shareholders, other than Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulations Act, 1949 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Notification No.DBOD. No.BCNo.46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 issued by Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and to pass the following resolution:-

"RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than Central Government, in respect of whom valid nominations were received, pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme and Regulations made thereunder, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from the date following the date of this meeting and to hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption."

Place : New Delhi
Date: 10th May 2011

By Order of the Board of Directors

P K ANAND
EXECUTIVE DIRECTOR

टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक वक्तव्य

निदेशकों के चुनाव संबंधित नोटिस की मद संख्या 3 के वास्तविक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण निम्न दिया गया है।

मद संख्या 3 से संबंधित वास्तविक तथ्यों का दिया गया व्याख्यात्मक विवरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, अन्य बातों के साथ–साथ उपलब्ध कराता है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2बी) की शर्त (सी) के अंतर्गत् जारी पूंजी (केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त) 16% से अधिक है लेकिन प्रदत्त पूंजी के 32% से अधिक नही है, शेयरधारकों को अपने मध्य से दो निदेशकों का चुनाव करने का अधिकार है।

दिनांक 31.03.2010 को बैंक की प्रदत्त ईक्वटी शेयर पूंजी रू. 183.06 करोड़ थी और भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में था। वर्ष 2010–11 के दौरान, बैंक ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से रू. 40 करोड़ की ईक्वटी शेयर पूंजी जुटाई जिससे भारत सरकार की धारिता में 17.93ः की कमी हुई। इस लिए, बैंक के शेयरधारक (केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त) दो निदेशकों का चुनाव करने के पात्र हैं।

निदेशक मंडल ने दिनांक 25.03.2011 की अपनी बैठक में शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, बैंक की वार्षिक सामान्य बैठक में चुनावी प्रक्रिया के तहत नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

निदेशक जो चुना जाएगा, चुने जाने की दिनांक से कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेगा, से तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर बना रहेगा।

2. प्रॉक्सी की नियुक्तिः

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में सहभगिता करने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्त करने हेतु पात्र होगा/होगी तथा प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नही है।

यद्यपि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में अपने विचार रखने का कोई अधिकार नही होगा।

किसी भी व्यक्ति जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है, को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नही किया जाएगा।

विनियमों के विनियम 70 (vi) के अनुसार, प्रॉक्सी को दिए जाने वाले लिखित से व्यक्तिगत रूप से बैठक में मत देने का अधिकार नही होगा जिससे लिखित संबंधित है।

प्रॉक्सी प्रारूप तभी प्रभावी होगा यदि वह बैंक के प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा के अंतर्गत् शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21, राजेंद्र

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 of the Notice regarding Election of Directors is annexed below.

Explanatory statements setting out the material facts in respect of agenda item No. 3

The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, inter alia, provides that where the capital issued under Clause (C) of sub section (2 B) of Section 3 of the Act (other than to the Central Government), is more than 16% but not more than 32% of the total paid up capital, the Shareholders would be entitled to elect two directors from amongst themselves.

The paid up equity share capital of the Bank as on 31.03.2010 was Rs. 183.06 crores, and was wholly owned by the Government of India. During the year 2010-11, the Bank raised equity share capital of Rs. 40 crores by way of Initial Public Offering resulting in dilution of the Central Government holding to the extent of 17.93%. The shareholders of the Bank (other than the Central Government) are therefore entitled to elect two Directors.

The Board of Directors in their meeting dated 25.03.2011 have decided to appoint two directors from amongst shareholders other than the Central Government, through the process of election at the Annual General Meeting of the Bank.

A Director, so elected, shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he/she is elected or deemed to have been elected and will hold office for a period of three years.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of the Punjab & Sind Bank.

As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form in order to be effective must be received at Shares Cell, Head Office Accounts & Audit Department,

प्लेस, नई दिल्ली – 110008 में वार्षिक सामान्य बैठक से 4 दिन पहले तक अर्थात् दिनांक 11.06.2011 को सांय 5 बजे यानि कि दिन की समाप्ति या उससे पूर्व जब तक कि उस प्रकार का मुख्तारनामा अथवा कोई अन्य प्राधिकार पत्र पहले बैंक में न जमा और न ही पंजीकृत कराया गया हो, के साथ प्राप्त हो जाना चाहिए।

3. अधिकृत प्रतिनिधी की नियुक्तिः

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नही होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधी के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति जिसको उस बैठक के अध्यक्ष जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा एक सत्य प्रतिलिपी के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 11.06.2011 को सायं 5 बजे या इससे पहले प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अंतर्गत् शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली –110008 प्राप्त हो जाना चाहिए।

कृपया नोट करें कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी प्राधिकृत प्रतिनिधी के रूप में नियुक्त नही किया जा सकता।

4. पंजीकरण एवं उपस्थिति पर्चीः

शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु, दिनांक 16.06.2011 को प्रातः 9 बजे पंजीकरण प्रक्रिया, बैठक स्थल पर आरंभ होगी। शेयरधारकों को पंजीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु बैठक में समय से पहले उपस्थित होने का अनुरोध है।

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से उपस्थिति पर्ची भरकर, उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके, इसको बैठक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची पर यथीस्थिति प्रॉक्सी या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जैसी भी स्थिति हो, अंकित करना चाहिए। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि बैठक में प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, संबंधित होगा और उनको वैध पहचान जैसे मतदाता पहचान पत्र/नियोक्ता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पॉसपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस आदि को साथ में लाने की सलाह दी जाती है।

5. शेयर अंतरण एजेन्टों के साथ पत्र–व्यवहारः

शेयरधारक जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में है, से पंजीकृत पते में हुए परिवर्तनों की बैंक के शेयर अंतरण एजेन्टों को निम्न

1st floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 11.06.2011 together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Shares Cell, Head Office Accounts & Audit Department, 1st floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 11.06.2011.

Please note that any employee or officer of the Bank can not be appointed as authorized representative as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

4. REGISTRATION AND ATTENDENCE SLIP:

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on 16.06.2011, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

For the convenience of the shareholders, attendance slip is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representative is requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc.

5. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered

पते पर सूचना देने का अनुरोध है:
लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लिमिटेड
इकाई: पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
ए–40, दूसरा तल,
नरायणा औद्योगिक क्षेत्र,
फेज–II, बत्ररा बैंकेट के पास,
नई दिल्ली–110028
शेयरधारकों जिनके पास शेयर अभौतिक स्थिति में हैं, उक्त परिवर्तनों को अपने डिपॉजिटरी सहभागी को सूचित करें।

6. रजिस्टर का बंद होना:

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण रजिस्टर दिनांक 02.06.2011 से 16.06.2011 तक (दोनों दिनों सहित) (क) वार्षिक सामान्य बैठक एवं (ख) बैंक द्वारा घोषित लाभांश भुगतान करने हेतु बंद रहेंगे।

7. चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र शेयरधारकों के लिए विशिष्ट तारीख को सुनिश्चित करना: चुनाव में भाग लेने के लिए हकदार शेयरधारक

जिन शेयरधारकों का नाम कारोबारी घंटों अर्थात् 13.05.2011 (जो विशिष्ट "तिथि" के रूप में जानी जाएगी) को एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए सदस्यों/लाभर्थी के रजिस्टर पर हैं, सहभागिता करने हेतु पात्र होंगे अर्थात् नामित करने, चुनाव लड़ने और निदेशकों के चुनाव में वोट देने के लिए, शेयरधारकों के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, पात्र होंगे।

8. लाभांश का भुगतान:

बैंक के निदेशक मंडल ने 30.4.2011 को आयोजित अपनी बैंठक में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु प्रत्येक रू. 10/– के प्रति इक्विटी शेयर के लिए रू. 2 की दर से लाभांश संस्तुत किया गया है। निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत तथा प्रथम सामान्य बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा।

क. दिनांक 01.06.2011 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार इलेक्ट्रानिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी स्वामियों को।

ख. दिनांक 01.06.2011 को कारोबार समय की समाप्ति को या इससे पूर्व बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेन्ट अर्थात् मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. के पास दर्ज शेयर हस्तांतरण अनुरोध के संबंध में बैध हस्तांतरण प्रभावी करने के पश्चात भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को।

Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Link Intime India Pvt Ltd.

Unit : Punjab & Sind Bank

A-40, IInd floor, Naraina Indl. Area, Phase-II,

Near Batra Banquets,

NEW DELHI-110 028.

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes only to their depository participants.

6. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 02.06.2011 to 16.06.2011 (both days inclusive) in connection with (a) the Annual General Meeting; and (b) payment of the dividend, declared by the Bank.

7. SPECIFIED DATE FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINMENT OF SHAREHOLDERS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE ELECTION:

Those shareholder whose names appear on the Register of Members / Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL as at the close of business hours on 13.05.2011 (hereinafter referred to as the "Specified Date") shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than Central Government.

8. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 30.04.2011 has recommended a dividend of Rs. 2.00 (Rupees Two only) per equity share of Rs. 10/- each, for the financial year 2010-11. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 1st Annual General Meeting will be paid as under:

a. To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Services Ltd. (NSDL) / Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as of the close of business hours on 01.06.2011.

b. To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank/ Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e., M/s Link Intime India Pvt Ltd on or before the close of business hours on 01.06.2011.

ग. प्रथम वार्षिक बैठक की तिथि से 30 दिन के अन्दर पात्र शेयरधारकों को लाभांश वितरित किया जाएगा।

9. लाभांश अधिदेश/डाक पते में परिवर्तनः

क. इलैक्ट्रोनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपाजिटरी खाते के पेटे पंजीकृत बैंक विवरणों को बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। बैंक अथवा इसका रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट, इलैक्ट्रोनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करेगा जो बैंक विवरणों अथवा बैंक मेंडेट से संबंधित होंगे। ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए।

ख. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेन्ट अर्थात् मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. को दें। इलैक्ट्रोनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी को देनी चाहिए। बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट को सूचना देने की आवश्यकता नही है।

ग. सदस्यों से अनुरोध है कि वो बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए जिनके पास शेयर इलैक्ट्रोनिक रूप में हैं) का अवश्य ही उल्लेख करें।

10. दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई होः

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वो उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अप्रदत लाभांश खाते" में अंतरित करें।

"अप्रदत लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि हेतु बचे अदावाकृत/अप्रतद राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी की उप धारा (1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। इस राशि का उपयोग को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी की उप धारा (1) के अंतर्गत उल्लिखित उद्देश्य तथा रूप में किया जाएगा और उसके पश्चात् इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या फंड को प्रस्तुत नही किया जाएगा।

c. The dividends will be distributed to the eligible shareholders within thirty days from the date of 1st Annual General Meeting.

9. DIVIDEND MANDATE / CHANGE OF ADDRESS

a) Members holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account will be used by the Bank for payment of dividend. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent can not act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. M/s Link Intime India Pvt. Ltd. Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP ID / Client ID number (for those holding shares in electronic form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

10. UNPAID DIVIDEND, IF ANY

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund established under sub-section (I) of section 205 C of the Companies Act, 1956, which shall be used for the purpose and in the manner specified in section 205 C of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund.

11. फोलियो का समेकन :

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर है, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण–पत्रों के साथ ऐसे खातों हेतु लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सकें। पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद, सदस्यों को शेयर प्रमाणपत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगें।

12. सदस्यों से अनुरोधः

कृपया नोट करें कि वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएगी। अतः शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आएं।

13. शेयरधारकों के मताधिकारः

अधिनियम की धारा 3 (2ई) में दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अलाबा, बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारक शेयरों, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार का 1 प्रतिशत से अधिक शेयर रखता है तो वह मताधिकार देने का पात्र नही होगा।

निदेशकों का चुनावः

14. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु आवश्यक अहर्ताएं

अधिनियम की धारा 9 (3–ए) में दी गई शर्तों के अनुसार, आवेदक को बैंक का शेयरधारक होना चाहिए और जो अधिनियम की उपधारा (3) के खंड (i) के अनुसरण में निदेशक चुना जाना चाहता है, होना चाहिएः

क) निम्न एक या अधिक मामलों में विशेष जानकारी या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए जिनका नामः–
- – कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- – बैंकिंग
- – सहकारिता
- – अर्थशास्त्र
- – वित्त
- – कानून
- – लघु उद्योग
- – भारतीय रिज़र्व बैंक की दृष्टि में अन्य किसी मामले की विशेष जानकारी एवं व्यवहारिक अनुभव।

ख) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, या

ग) कृषकों, कामगरों एवं कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

अधिनियम की धारा 9 (3एए) की शर्तों के अनुसार आवेदक को बैंक का शेयरधारक होना चाहिए और बैंक का निदेशक बनने

11. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate Link Intime India Pvt. Ltd., the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

12. REQUEST TO MEMBERS:

Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. No copy of the Annual report shall be provided at the venue of the Annual General Meeting.

13. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

ELECTIONOF DIRECTORS:

14. QUALIFICATION REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3-A) of the Act, a candidate being a Shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director under the clause (i) of Sub section 9(3) of the Act shall-

A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-
- agriculture and rural economy;
- banking;
- co-operation;
- economics;
- finance;
- law;
- small-scale industry;
- any other matter the special knowledge of and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank be useful for the Bank.

B) represents the interest of depositors; or

C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank and would desire to be a

हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी 'फिट एव प्रोपर' दिशानिर्देशों के अनुसरण में होना चाहिए। आगे, चुने हुए निदेशक को कोवोनेंट का विलेख निष्पादित करना चाहिए और उसको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्धारित वार्षिक घोषणाओं को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

15. बैंक के निदेशक चुने जाने में अयोग्यताः

क. राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना, 1980 की शर्त 10 के अनुसार, एक व्यक्ति को निदेशक के रूप में या नियुक्त होने से अयोग्य किया जा सकता है।

i) यदि उसको दिवालिया या भुगतान में चूक या अपने देनदारों से धोखाधड़ी की है; या

ii) यदि उसको पागल पया गया है और सक्षम अदालत द्वारा पागल करार दिया गया है; या

iii) यदि उसको क्रिमनल अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए दंड दिया गया है जिसमें नैतिक पतन सम्मिलित है;

iv) यदि वह, किसी राष्ट्रीकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 के अंतर्गत गठित सहायक बैंक, पूर्ण–कालिक निदेशक के पद धारण के अलावा जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सम्मिलित है और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड एवं (एफ) के अंतर्गत बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के अतिरिक्त, लाभ के पद पर आसीन है।

यदि वह भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा दिनांक 01.11.2007 सं. डीबीओडी.न. बीसीनं. 46/29.39.001/2007–08 एवं सं. डीबीओडी.नं.बीसीनं. 47/29.39.001/2007–08 को जारी अधिसूचना के अनुसार, 'फिट एवं प्रोपर' नहीं पाया जाता है।

16. निदेशकों का कार्यकालः

योजना के खंड 9 (4) के अनुसार, एक चुना हुआ निदेशक तीन वर्ष हेतु पद पर बना रहेगा और पुनः चुनाव का पात्र होगा।

यद्यपि इस प्रकार का काई भी निदेशक छः वर्ष की अवधि से अधिक निदेशक के पद पर नहीं रह सकता।

शेयरधारकों के संज्ञान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 9 (3बी) के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अंतर्गत इस प्रकार चुने गए निदेशकों को हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिकार है।

17. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नमांकनः

1. किसी भी उम्मीदवार का निदेशक हेतु नांमांकन तब तक वैद्य नहीं होगा यदि,

Director of the Bank should posses 'Fit and Proper' status pursuant to guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard. Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

15. DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

A. In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:

a) if he has at any time been adjudicated as insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors ; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court;or

c) if he has been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude

d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under Sub-Section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the Managing Director and directors nominated under Clause (e) and (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

B. If he is not found to be 'Fit and proper' person in terms of Notification No. DBOD. No.BCNo.46/29.39.001/2007-08 and .DBOD. No.BCNo.47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 issued by Reserve Bank of India

16. TENURE OF DIRECTORS:

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Attention of Shareholders is invited to Section 9 (3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9 (3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) & (3AA) of the said Act.

17. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

1. No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,